न्यायालयः— अपर सेशन न्यायाधीश कामां जिला डीग (राज0)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. मनोज तिवारी, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

1.

विविध आपराधिक प्रकरण संख्या : 846/2026

सीआईएस नंबर : 827/2026

सीएनआर नंबर : RJDE080010142026

1. इन्नस पुत्र अजीम, उम्र 26 वर्ष, निवासी बासोली, पुलिस थाना कैथवाड़ा, जिला डीग (राजस्थान)।

2. अरमान पुत्र अजीम, उम्र 20 वर्ष, निवासी बासोली, पुलिस थाना कैथवाड़ा, जिला डीग (राजस्थान)।

3. अनीश पुत्र मुब्बा उर्फ मुबीन, उम्र 19 वर्ष, निवासी अमरूका, पुलिस थाना कैथवाड़ा, जिला डीग (राजस्थान)।

—प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

ब ना म

राजस्थान राज्य, जरिए अपर लोक अभियोजक, कामां, जिला डीग।

—अप्रार्थी

2.

विविध आपराधिक प्रकरण संख्या : 847/2026

सीआईएस नंबर : 821/2026

सीएनआर नंबर : RJDE080010082026

1. साहिद पुत्र हसन मौहम्मद, उम्र 20 वर्ष, निवासी नांगल, पुलिस थाना कैथवाड़ा, जिला डीग (राजस्थान)।

2. साबिर पुत्र इदरीश, उम्र 28 वर्ष, निवासी मुगस्का, पुलिस थाना पहाड़ी, जिला डीग (राजस्थान)।

—प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

ब ना म

राजस्थान राज्य, जरिए अपर लोक अभियोजक, कामां, जिला डीग।

—अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 82/2026 पुलिस थाना कैथवाड़ा अपराध धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(क) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66डी आई.टी. एक्ट।

उपस्थिति :—

1. श्री साजिद खान, कय्यूम खान, मुनफेद, विद्वान अधिवक्तागण वास्ते प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अरमान व इन्नस।
2. श्री सुरेन्द्र गुप्ता, मनोज कुमार शर्मा, सिराजुद्दीन, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण/अभियुक्तगण साहिद व साबिर।
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

<u>आ दे श</u> **<u>दिनांक : 06.06.2026</u>**

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अलग अलग जमानत प्रार्थना पत्र पेश किए गए, किंतु एक ही एफआईआर से संबंधित होने के कारण निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 के अधीन प्रस्तुत जमानत आवेदन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2026 को जमानत आवेदन खारिज करने से व्यथित होकर उक्त धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पृथक–पृथक इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जिनकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई एवं संबंधित अनुसंधान पत्रावली तलब की गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्तागण, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के दौराने बहस सम्मिलित रूप से तर्क रहे हैं कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का आरोपित अपराध से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, उन्हें इस प्रकरण में कतई झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी होना शेष नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय क्षेत्राधिकार के स्थाई निवासी हैं, जिनके फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है और ना ही गवाहान को टैम्परविद किये जाने का कोई अंदेशा है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का आरोपित अपराध प्रथम अपराध है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय संतोष की जमानत देने को तैयार व तत्पर हैं। अन्त में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा **318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(क) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66डी आई.टी. एक्ट** के तहत गम्भीर अपराधों के आरोप प्रमाणित हैं। प्रकरण में अभी अनुसंधान लम्बित है। अन्त में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण में दिनांक 25.05.2025 को श्री जसवन्त सिंह ए.एस.आई. ने तहरीरी रिपोर्ट में अंकित अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध बनना पाये जाने पर पुलिस थाना कैथवाड़ा पर मु.नं. 82/26 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(क) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66डी आई.टी. एक्ट में दर्ज कराया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं दौराने अनुसंधान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में जुर्म प्रमाणित पाने पर उसको दिनांक 25.05.2026 को गिरफ्तार किया गया।

5. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं अनुसंधान पत्रावली व पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अनुसंधान पत्रावली व तथ्यात्मक

रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा **318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(क) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66डी आई.टी. एक्ट** के अपराधों के आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित माने गए हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षड़यंत्र के अनुसरण में अनजान भोले–भाले लोगों से हथियार पिस्टल आदि एवं घर की सजावटी सामान व इलेक्ट्रॉनिक चुल्हे आदि बेचने के नाम पर ऑनलाईन बुकिंग कर एडवांस रुपये अपने खातों में डलवाने आदि तरीकों से धोखाधड़ी कर ऑनलाईन साईबर ठगी किए जाने के तथ्य अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध हैं। साईबर ठगी से संबंधित स्क्रीनशॉट्स अनुसंधान पत्रावली पर संलग्न हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद हैं तथा मौके से गिरफ्तार किये गये हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के कब्जे से 07 एण्ड्रोईड मोबाईल फोन मय 09 सिमकार्ड व एक चैक बुक बरामद हुए हैं, जिसमें साईबर ठगी के तथ्य पाए गए। यद्यपि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा अन्य कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होने बाबत् अभिलेख अनुसंधान पत्रावली पर संलग्न है, परन्तु प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के अधिवक्तागण द्वारा बहस के दौरान जो कथन किए हैं, वे सभी तथ्य, साक्ष्य से संबंधित हैं, जिन पर प्रकरण की इस स्टेज पर विचार नहीं किया जा सकता। वर्तमान में इस क्षेत्र में इस तरह के अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही हैं। यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उक्त प्रकृति के अपराधों में बढ़ोतरी होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रकरण में अभी अनुसंधान शेष है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आ दे श

7. फलस्वरूप प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. इन्नस पुत्र अजीम, उम्र 26 वर्ष, 2. अरमान पुत्र अजीम, उम्र 20 वर्ष, निवासीयान बासोली, पुलिस थाना कैथवाड़ा, जिला डीग, 3. अनीश पुत्र मुब्बा उर्फ मुबीन, उम्र 19 वर्ष, निवासी अमरूका, पुलिस थाना कैथवाड़ा, जिला डीग, 4. साहिद पुत्र हसन मौहम्मद, उम्र 20 वर्ष, निवासी नांगल, पुलिस थाना कैथवाड़ा, जिला डीग तथा 5. साबिर पुत्र इदरीश, उम्र 28 वर्ष, निवासी मुगस्का, पुलिस थाना पहाड़ी, जिला डीग (राजस्थान)** की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किये जाते हैं।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMW (Cri) No. 4/2021 में पारित आदेश दिनांकित 31-01-2023 की पालना में आदेश की प्रति अभियुक्तगण को सूचित करने हेतु संबंधित कारागृह को जरिये ई–मेल भिजवाई जावे।

(डॉ. मनोज तिवारी)
अपर सेशन न्यायाधीश,
कामां, जिला डीग

9. आदेश आज दिनांक **06.06.2026** को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(डॉ. मनोज तिवारी)
अपर सेशन न्यायाधीश,
कामां, जिला डीग